FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रावर

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
भेपाराम व अन्य बनाम		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–153/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.11.2021	प्रार्थी भेपाराम, ओमप्रकाश, आदुराम पिसरान खेराजराम, समुडी देवी पुत्री खेराजराम जाति विश्नोई निवासीगण रावर तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प रावर में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 413 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि पूर्व मे भबूतराम पुत्र हरीराम की 1/2 हिस्से की थी। भबूतराम के देहान्त के बाद उसकी भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण उसकी पत्नी श्रीमती सुवटी के नाम से दर्ज किया गया। सुवटी के काई पुत्र, पुत्री औलाद नही थे। खातेदार सुवटी का देहान्त हो गया। खातेदार श्रीमती सुवटी का देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 1103 स्वीकृत किया गया, जो नामान्तकरण संख्या 1103 में सुवटी के पुत्र भेपाराम, ओमप्रकाश, आदुराम उर्फ पेमाराम, तथा पुत्री समुडी देवी को वारिसान बता दिया जबकि श्रीमती सुवटी के सबसे नजदीकी वारिसान उसका देवर खेराजराम पुत्र हरीराम था। नामांन्तकरण संख्या 1103 खेराजराम पुत्र हरीराम के नाम से जारी किया जाना चाहिए था। उक्त नामान्तकरण संख्या 1103 में गलत प्रविष्टि दर्ज होने पर वादीगण ने प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प सन् 2021 रावर में दावा को पेश किया है ओर निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 1103 को निरस्त कर श्रीमती सुवटी की भूमि का नामान्तकरण खेराजराम पुत्र हरीराम के नाम से जारी किया जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी भेपाराम, ओमप्रकाश, आदुराम पिसरान खेराजराम, समुडी देवी पुत्री खेराजराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादीगण के आधार कार्ड आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर नामान्तकरण संख्या 1103 खसरा नम्बर [illegible] रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा ग्राम रावर की नकल जमाबंदी [illegible] से 2077 खसरा नम्बर 413 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा की [illegible] तथा कार्यालय ग्राम पंचायत रावर द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तथा प्रतिवादी खेराजराम पुत्र हरीराम के बयान कलमबद्ध किये गये तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:02 IST
Reason: SelfAttested

	प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादीगण ने मजमा आम में निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 1103 को निरस्त कर राजस्व रेकर्ड में भूमि खेराजराम पुत्र हरीराम के नाम से दर्ज की जावें। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि सुवटी पत्नी भबूतराम 1/2 हिस्से की थी। खातेदार सुवटी का देहान्त होने पर उसके पुत्र भेपाराम, ओमप्रकाश, आदुराम उर्फ प्रेमाराम, समुडीदेवी के नाम से फौतेदगी नामांन्तकरण संख्या 1103 स्वीकृत कर दिया गया। जबकि खातेदार सुवटी लाऔलाद फौत हुयी श्रीमती सुवटी का सबसे नजदीकी वारिसान उसका देवर खेराजराम पुत्र हरीराम था। म्यूटेशन संख्या 1103 को बीना कोई जांच के स्वीकृत किया गया है। वादीगण सक्षम न्यायालय के समक्ष म्यूटेशन संख्या 1103 की अपील पेश करें। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। वादी नया दावा/अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम रावर में खुले मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रावर

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:02 IST
Reason: SelfAttested

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. भेपाराम पुत्र खेराजराम		1. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बिलाड़ा
2. ओमप्रकाश पुत्र खेराजराम		2 खेराजराम पुत्र हरीराम
3.आदुराम उर्फ प्रेमाराम पुत्र खेराजराम		

4.समुडी देवी पुत्री खेराजराम जातियान विश्नोई निवासीगण रावर तहसोल बिलाड़ा जिला जोधपुर

जाति विश्नोई निवासी . रावर तहसील बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 153/2021

निर्णय **दिनांक** :– 17.11.. 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 स्वयं, प्रतिवादी संख्या–2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का दावा साक्ष्य सबूतो के आधार पर खारिज किया जाता है। वादी नया दावा/अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:01:02 IST
Reason: SelfAttested